International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 06, No. 01(I), January - March, 2024, pp. 85-90

मानवाधिकार आयोग और महिला अत्याचार व उत्पीड़न तथा मानवाधिकार संरक्षण (राजस्थान राज्य के संदर्भ में अध्ययन)

डॉ. इन्द्र कुमार मीना*

सार

मानवाधिकार सभ्य समाज की आधारशिला है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था केमजबूत होने के साथ–साथ मानव अधिकारों को भी पूर्ण सम्मान देना आवश्यक होगया है। मानव मात्र को अधिकार उसके जन्म से ही प्राप्त होते हैं तथा मानव केसर्वांगीण विकास के लिए इनकी रक्षा करना आवश्यक है। अधिकारों से मानव कोअलग करने से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा। ये मानव के जन्मसिद्धअधिकार है, जिन्हें पृथक करने से मानव का सर्वांगीण विकास ही रूक जाता है।समाज व राज्य मानव अधिकारों को संरक्षित रखकर ही अपनी सफल दुनिया कानिर्वाह कर सकते हैं। इन अधिकारों के पीछे कार्यपालिका का संरक्षण वन्यायपालिका की शक्ति निहित है जो इनके उल्लंघन होने पर मानव को सुरक्षा वसंरक्षा प्रदान करती है।

शब्दकोशः *मानवाधिकार, संगठन, भूमिका, महिला अत्याचार, उत्पीड़न, मानवाधिकार संरक्षण, आयोग, अधिकार, विकास।*

प्रस्तावना

भारतीय संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों की व्यवस्था कर उन्हें पांचश्रेणियों में विभक्त किया गया हैं। इन मूल अधिकारों के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी मेंजीवन काअधिकार, यातना के विरूद्ध अधिकार, दासता के विरूद्ध अधिकार, स्वतंत्रता काअधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार तथा विचार, अन्तरात्मा व धार्मिकस्वतंत्रता का अधिकार के अन्तर्गत संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं।

दूसरी श्रेणी मेंराजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए है जिनमें अपनी राय बनाने का अधिकार,शांतिपूर्ण समूह का संगठन बनाने का अधिकार, समान विचारधारा के लोगों द्वारामिलाकर संघ बनाने का अधिकार तथा निर्वाचन में बिना किसी लिंग, जाति व धर्मके भेद के आधार पर मतदान करके लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों मेंचुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान किया गया है।

तीसरी श्रेणी में आर्थिक अधिकार वर्गीकृत है, जिनके अन्तर्गत किसी भीव्यवसाय को चुनने व करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार व समान कार्यके लिए समान वेतन का अधिकार, न्यायपूर्ण कार्यदशा का अधिकार तथा श्रमजीवीसंघ बनाने का अधिकार प्रदान किए गए है। इनके अन्तर्गत देश के किसी भाग मेंकार्य का, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

चतुर्थ श्रेणी में सामाजिक अधिकार के अन्तर्गतसामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा पाने का अधिकार, उचित जीवन स्तर काअधिकार, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार तथा प्रत्येक व्यक्तियों कोशिक्षा का अधिकार प्राप्त है जिसके अन्तर्गत 6–14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओंके अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी है।

* सहायक आचार्य, (राजनीति विज्ञान विभाग), राजकीय महाविद्यालय, रैणी, अलवर, राजस्थान।

पांचवी श्रेणी में सांस्कृतिक अधिकार में प्राप्त है, जिसके अन्तर्गत सांस्कृतिककार्यों में सम्मिलित होने का अधिकार, वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाने का अधिकारवैज्ञानिक, कलात्मक व साहित्यिक रचना करने सृजन या आविष्कार के संरक्षण लाभउठाने के अधिकार प्राप्त है।

ये सभी मानवाधिकार भारत के संविधान में वर्णित हैऔर देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है। इनका उल्लघंन किए जाने पर शिकायतदर्ज करने व न्यायापालिका में अधिकार हननकर्ता को विरूद्ध दोषसिद्ध कर सजादेने का अधिकार भी प्रदान किया गया है जिससे इनका अतिक्रमण व उत्पीड़नरोका जा सके।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने समय–समय परमानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की रोकने के लिए अनुमोदित चार्टर पर सभीहस्ताक्षरकर्ता देशों में लागू करने की हमारे द्वारा प्रतिबद्धता दर्शायी गई है तथा देशमें मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए कठोर प्रावधान व संशोधन किए गएजिनके अनुसार महिलाओं के अधिकार विकास का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण केअधिकार भी जोड़े गए हैं। साथ ही अपराधों के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति प्रदान करनेकी व्यवस्था भी की गई है, जिसमें गंभीर अपराधों से हानि पर क्षतिपूर्ति काअधिकार जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं सेहुई हानि की क्षूतिपूर्ति को भी मानवाधिकार का स्वरूप प्रदान करने का प्रभाव कियागया है।

भारत में 2005 में प्रदत्त सूचना के अधिकार ने राजनीतिक व प्रशासनिकस्तर पर क्रांति लाई तथा इससे प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, निगम तथा सरकारसे सहायता प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों को इस अधिकार के अन्तर्गत लायागया है। भूख, कुपोषण के लिए सरकार की ओर से समुचित एवं सन्तोषजनकव्यवस्था करने के साथ रोजगार के अवसर जुटाने को भी मौलिक अधिकारों में जोड़ेजाने का दबाब बढ़ाना आरंभ किया गया है। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधीराष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को100 दिन का रोजगार प्रदान करने की गारन्टी प्रदान की गयी हैं जिसमें निवेदनकरने के 15 दिन में सरपंच व प्रशासन को व्यक्ति या व्यक्तियों को रोजगार प्रदानकरना आवश्यक है अन्यथा उसे कार्य प्रदान न कर पाने की अवधि में बेरोजगारीभत्ता प्रदान करना आवश्यक है।

विश्व स्तर पर मानवाधिकार जनतांत्रिक व स्थिर शासन वाले देशों में हीसुनिश्चित है। सैनिक शासन या राजतंत्र की व्यवस्था में मानवाधिकार केवलनाममात्र के हैं जहां नागरिकों का जीवन सुरक्षित नहीं होता है। इस्लामिक देशों मेंशासन तंत्र के ऊपर इस्लाम के धर्मगुरूओं के फतवे सर्वोच्च कानून बन जाते हैंजिनकी पालना में मानवाधिकारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भारत में भी कईजातीय संगठन/पंचायतें अपने कानून चलाती रही हैं, जिसके चलते कई बारमानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियॉ उत्पन्न होती रहती है। पीड़ित पक्ष वपरिवारजन इन पंचायतों के निर्णय या उत्पीड़न के विरूद्ध पुलिस में केस दर्जकराने व न्यायालय जाने पर उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं औरउन्हें जाति बिरादरी से बाहर तक कर दिया जाता हैं। कई बार सरकारें तक ऐसीस्थितियों पर आंख मूंद लेती हैं।इस सभी स्थितियों व परिस्थितयों के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार अत्यन्तजटिल अवधारणा बन गई है तथा इसकी विषयवस्तु को लेकर विद्वानों के विचारों मेंभिन्नता व्याप्त है। इन सबके उपरान्त भी भारत में मानवाधिकारों को लेकर सार्थकप्रयास किए गए हैं। प्रशासन व न्यायतंत्र उन्हीं मामलों पर विचार करता है जोउनके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। यद्यपि कतिपय मामलों में न्यायपालिका स्वप्रेरणासे भी, अन्यथा प्रचारतंत्र के माध्यम से प्रकट मामलों पर कार्यवाही आरंभ कर देतीहै, इस कारण मानवाधिकारों के बारे में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा व जनविश्वास मेंवृद्धि हुई है। इस कारण प्रशासन तंत्र कानून व्यवस्था सुचारू रखने का प्रयत्नकरता है और मानवाधिकार हनन के प्रकरणों पर तत्परता से कार्यवाही करने काप्रयास करता है। इस क्षेत्र में प्रचार तंत्र, स्वयंसेवी सगंठन व प्रबुद्धजनों की पहलसराहनीय है जो किसी मानवाधिकार हनन के मामले पर अवाज उठाकर सरकार कोतत्काल कार्यवाही के लिए बाध्य कर देते हैं।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एवं स्वरूप

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम–1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के अन्तर्गतप्रत्येक राज्य सरकार को राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के निर्देश प्रदान किएगये, जिसके माध्यम से संविधान में प्रदत्त मौलिक

अधिकारों व अन्य कानूनों कापालन सुनिश्चित किया जा सके तथा इनके अतिक्रमण के विरूद्ध पुलिस वन्यायालय में सूचना की जा सके। अधिनियम की धारा 41 में यह प्रावधान कियागयाथा कि राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार गठन की अधिसूचना जारी कर इसकेविभाग व सचांलन विधि निर्धारित करेगी। राजस्थान सरकार की मानवाधिकारों केप्रतिबद्धता व संवेदनशीलता का आंकलन इसी स्थिति से लगाया जा सकता है किसात वर्ष पश्चात् राज्य मानवाधिकार के गठन करने का निर्णय जनवरी 1999 मेंलिया गया।

राज्य सरकार में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन कीअधिसूचना 18 जनवरी, 1999 को दी जिसमें आयोग के अध्यक्ष, चार सदस्य, एकसचिव, एक पुलिस महानिरीक्षक अनुसंधान कार्य हेतु पदस्थापित करने की व्यवस्थाकी गयी। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के चयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मेंएक समिति के गठन की व्यवस्था की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री,विधानसभा में विपक्ष नेता के सम्मिलित करने की व्यवस्था है। यह समिति अध्यक्ष वसदस्यों के नामों की सिफिरिश राज्यपाल को करती है, जो इन अध्यक्ष व सदस्योंकी नियुक्ति करते हैं। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त दो निवर्तमान न्यायाधीश व दोसदस्य मानवाधिकार के मामलों के पूर्वविद् व्यक्तियों में से चयनित किया जाने कीव्यवस्था है।

आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की सचिव व मुख्यकार्यकारी अधिकारी लगाया जाने की व्यवस्था है तथा उपसचिव, सहायक पंजीयकव अन्य सहायककर्मी लगाने की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान कार्य के लिएपुलिस महानिरीक्षका स्तर के अधिकारी को लगाने की भी व्यवस्था है। आयोगआवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी की सेवायें ले सकताहै। आयोग की प्रथम अध्यक्ष सुश्री कान्ता भटनागर ने 23 मार्च 2000 को कार्यभारग्रहण किया तथा 11 अगस्त 2000 तक पद पर रही। यह पद 6 माह तक खालीरहा तथा 16 फरवरी 2001 को न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद अध्यक्ष बने। आयोग केअध्यक्ष व सदस्यों के चयन में पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिनकेकार्यकलापों में कोई राजकीय हस्तक्षेप नहीं किया जाता।राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय राज्य सरकार द्वाराजयपुर रखा गया है, जहां आयोग के लिएशासन सचिवालय, जयपुर में स्थानउपलब्ध कराया गया है। इसमें अध्यक्ष व सदस्यों के कक्ष, मीटिंग कक्ष व सचिव केकक्ष के आन्तरिक स्टाफ के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। सामान्यतया आयोगकी बैठकें निर्धारित कार्यालय में ही सम्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त अध्यक्षके विवेक के अनुसार आवश्यकता व औचित्य मानकर आयोग की बैठकें राजस्थान में किसी भी स्थान पर आयोजित की जा सकती है, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ऐसी स्थिति किन्हीं विशेष प्रकरण की आवश्यकता व संवेदनशीलता को दृष्टिगत करते हुए अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाता है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की महिला अत्याचार व उत्पीड़नरोकने में भूमिका

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 तथा धारा 21 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग गठन करने व उसकी कार्य प्रक्रिया निर्धारण के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 के अन्तर्गत किया गया है। इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा 18.1.1999 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया तथा आयोग ने मार्च 2000 से कार्य आरंभ किया तथा इसने कार्यसंचालन की प्रक्रिया जनवरी 2001 में जारी की गई। राजस्थान सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन रोकने के संबंध में आदेश बनाने की कार्यवाही भारत सरकार के अधिनियम 1993 में जारी करने के सात वर्षों बाद आरंभ की थी यह दर्शाता है कि सरकार ने छः वर्ष का समय निर्णय लेने में लगा दिया।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का महत्व 1993 के भारत सरकार के अधिनियम से प्रकट होता है जिसके अन्तर्गत आयोग को प्रदत्त शक्तियों से प्रकट होता है। आयोग को प्रदत्त शक्तियों से यह स्पष्ट है की वह स्व–प्रेरणा से अथवा पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर विचार करता है, जिसमें मानवाधिकारों का उल्लघंन किया गया अथवा किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार हनन रोकने की

उपेक्षा की गईं ऐसे प्रकरणों पर आयोग विचार करने में सक्षम है। आयोग द्वारा प्रकरण की शिकायतों की जांच करता है और मानवाधिकारों का उल्लंघन पाए जाने पर सूचना प्राप्त कर यह सुनिश्चित करता है कि याचिका सही है अथवा दुराग्रह पूर्ण है। इसी प्रकार लोक सेवक ऐसे कृत्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार है या अपना दायित्व निभाने की उपेक्षा की गई है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को केवल सिविल न्यायालय कीशक्तियां प्रदान की गई हैं तथा राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर प्रत्येक जिले में पृथक मानवाधिकार न्यायालय स्थापित कर दिए हैं इसीलिए आयोग प्राप्त शिकायतों पर यह सुनिश्चित करता है कि प्रकरण में वर्णित तथ्य सही हैं और इस आधार पर संबंधित जिले के मानवाधिकार न्यायालय में प्रकरण अग्रेषित कर देता है। इसी प्रकार आयोग किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण में जहां मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी कार्यवाही की जाती है, उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप कर सकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत संबंधित न्यायालय को प्रकरण भेजकर उसकी स्थिति भी दृष्टिगत रखने के निर्देश दे सकता है। किसी प्रकरण में राज्य सरकार को सचू ना देने के अधीन राज्य सरकार के नियंत्रण की किसी जेल या अन्य संस्था, जहां उपचार, सुधार या संरक्षण हेतु व्यक्ति को विरुद्ध किया गया अथवा रखा गया है। उस संस्था में निवास करने वाले व्यक्तियों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने व उस पर सिफारिश करने के लिए निरीक्षण करने का भी प्रावधान है। इस प्रसंग में यदि राज्य सरकार स्वयं आयोग से निवेदन करती है कि किसी जेल, महिला सुधार गृह, निर्धारित गृह, बाल अपराधी गृह में आवासियों की स्थिति का आंकलन कर अपनी अभिशंषा प्रस्तुत करे जिस पर राज्य स्तर पर उचित निर्णय लिया जा सके। इस कार्य के लिए आयोग द्वारा उस संस्था को अध्यक्ष या सदस्यों के आगमन की सूचना देनी होती है।

राज्य सरकार आयोग से प्राप्त सिफारिशों को अक्षरतः मानने के लिए बाध्य नहीं है तथा आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाकर विभिन्न पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेती है। इसी प्रकार आयोग के पास किसी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होती है जिसमें कारागार, महिला सदन, महिला सुधारगृह, निराश्रित गृह, बाल अपराध गुट में अव्यवस्थाओं या दृष्कृत्यों को रोकने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों पर इन संस्थाओं के निरीक्षण करने से पर्वू राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य सरकार ने राज्य मानवाधिकार आयोग को एक महत्वपूर्ण संस्था का स्तर प्रदान नहीं किया है। यह दर्शाता है कि आयोग इन स्थलों पर राज्य सरकार की अनुमति मिलने के पश्चात् ही प्रवेश कर सकती है।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून द्वारा अथवा उसके अधीन प्रवाहित सुरक्षाओं का पुनरावलोकन करता है तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रदान करता है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के अनुरोध पर की जाती है तथा आयोग किसी प्रकरण के अन्तर्गत प्राप्त प्रसंग में ऐसी कार्यवाही के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करता है तथा प्रेषित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। परन्तु यह राज्य सरकार के लिए बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार प्रायः ऐसी सिफारिशें केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने के लिए आधार बनाने के लिए मंगाती है, जिसका विधिवत परीक्षण कर केन्द्र सरकार को निवेदन करती है। उग्रवाद के कृत्यों सहित मानवाधिकारों के उपयोग में बाधक कारकों पर राज्य सरकार के अनुरोध पर पुनरावलोकन करता है तथा इन स्थितियों से बचने या सुरक्षित रहने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने की सिफारिशें भेजता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान व प्रोन्नत करने की दिशा में भी वांछित कार्यवाही को सभांवित करता है। इसमें मानवाधिकारों के सुचारू उपयोग में बाधाओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से अनुसंधान भी कराता है। सामान्यतया आयोग में लगे अध्यक्ष व सदस्यगण मानवाधिकारों की विशेषज्ञता के कारण हीचयनित किए जाते हैं, इसलिए इनके सुझाव मंगाकर उस दिशा में आगामी प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं।

आयोग के दायित्वों में मानवाधिकारों की जानकारी देने, इस विषय में समाज के विभिन्न उपेक्षित वर्गों यथा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा समाज के उपेक्षित वर्गों की साक्षरता के लिए प्रचार प्रसार करने प्रचार मंत्रों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने, सेमीनार व अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा

मानवाधिकारों की जानकारी और उनके संरक्षण के बारे में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने का भी कार्य सौंपा गया है। इसके लिए आयोग के बजट में प्रचार प्रसार आदि के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों व महिलाओं के उत्पीड़न व शोषण रोकने के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं व महिला संगठनों प्रोत्साहन के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं, जिससे समस्त जानकारी महिलाओं व भिन्न वर्गों तक पहुंच सके।

इस प्रकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अग्रणी संस्था है जहां प्राप्त शिकायतों व समस्याओं के बारे में तथ्यों की जानकारी करके संबंधित समस्याओं के आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करता है। आयोग के अन्तर्गत गठित न्यायपीठ समस्त प्रकरण पर विचार कर यह निर्धारित करती हैं कि प्रकरण में मानवाधिकार का हनन किया गया है और ऐसे प्रकरणों को मानवाधिकार न्यायालयों व सरकार के विभागों को प्रेषित कर टिप्पणी मंगाकर दिशा निर्धारित करती है। न्यायाधीशों के आदेश राज्य सरकार व उसकी संस्थानों के लिए सुझाव स्वरूप होते हैं जिन पर टिप्पणी या सूचना मंगाकर आगामी कार्यवाही की अभिशंषा करती है।

राजस्थान मानवाधिकार आयोग व मानवाधिकार संरक्षणः

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जिस स्वरूप में बनाया गया है तथा उसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार का गठन किया गया है, उसमें आयोग से मानवाधिकार हनन रोकने व पूर्ण संरक्षण प्रदान करने की अपेक्षा करना उचित नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपने स्वीकृत स्वरूप में मानवाधिकार हनन की शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही करता है और राज्य सरकार को अपने निर्णय से अवगत करा देता है। राज्य सरकार के स्तर पर भी यथासंभव कार्यवाही की जाती है परन्तु जिस गति से मानवाधिकारों का हनन होता रहता है वह अत्यन्त चिन्ता का विषय है। यहां समस्या मानवाधिकारों के संबंध में जनसामान्य को पूरी जानकारी सुलभ कराने की तथा जागरूकता विकसित करने की है। सभी प्रकार के अधिकार दिए नहीं जाते परन्तु मानव समाज को उन्हें प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने आवश्यक है। इसके लिए मानवाधिकार हनन होने वाले वर्ग को संगठित होकर आवाज उठाने की आवश्यकता है। सरकार ने समाज के उपेक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाऐं, अपंग व असहाय वर्ग की बहुत सी सुविधाऐं प्रदान की है जिससे वे लोग अपना सामाजिक व आर्थिक उत्थान कर सकें। समस्या इन वर्गों के उदासीनता से संबंधित अधिक है। क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हीं के संपन्न लोग सभी अधिकारों व सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

यही स्थिति प्रायः प्रत्येक श्रेणी के मानवाधिकारों के संबंध में सही उत्तरदायी है क्योंकि समान का बड़ा वर्ग अशिक्षित है और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण मानवाधिकार संरक्षण में सबसे बडी समस्या एक बड़े वर्ग की है जो जागरूकता के विभिन्न उपायों के अन्तर्गत नहीं आ पाता है और जब तक यह वर्ग अपने अधिकारों के लिए प्रयत्नशील नहीं होता तब तक यही स्थिति बनी रहती रहनी निश्चित है। राजस्थान के साथ बहुत सी समस्याऐं विरासत में मिली है जिसमें समान का बहुत बड़ा वर्ग किसी भी साधन से जागरूक किए जाने के प्रयासों की परिधि में नहीं आ रहा है। जब तक यह वर्ग स्वयं आगे बढ़कर अपने अधिकारों के प्रति उद्यत नहीं होता, उसका भला होना संभव नहीं है।

सरकार नागरिकों के अधिकार प्रदान करती है और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा तंत्र स्थापित करती है परन्तु सारे प्रयास असंतुलन हो रहे हैंक्योंकि मानवाधिकारों से वंचित एक बड़ा वर्ग कोई प्रयास करने के लिए तत्पर नहीं है। सरकार का उदेश्य अधिकार प्रदान करना है और उनके संरक्षण के लिए पूरा तंत्र स्थापित करना है परन्तु समाज के अधिसंख्य लोग गरीबी व अज्ञानता से बाहर नहीं निकल पाते तो यह दोष उस वर्ग का है जो अपने विकास के लिए स्वयं तत्पर नहीं है। आज राजस्थान महिला साक्षरता में अन्तिम पायदान पर है इसलिए भारत सरकार व राज्य सरकार के सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। अधिकार व अधिकारिता की समस्याऐं यहीं से आरंभ होती है और यही आकर समाप्त हो जाती है।

निष्कर्ष

राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंचने वाली शिकायतों का निस्तारण आयोग के अधिकार क्षेत्र सीमा में किया जाता है परन्तु अशिक्षित व जागरूकता से वंचित वर्ग कोई शिकायत भेजने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में सबसे बड़ी समस्या इस वर्ग को जागरूक करने व उसके सभी श्रेणियों के अन्तर्गत उपलब्ध मानव अधिकारों के बारे में बताने की है। इसके साथ ही शिक्षित वर्ग में एक उदासीनता व्याप्त है कि सरकार को पत्र लिखने से कोई लाभ नहीं होता है। बहुत बड़े शिक्षित वर्ग के गंभीर स्थिति जैसे किसी व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देना, बलात्कार होना अथवा उपद्रव में जनहानि जैसे मामलों पर प्रसार माध्यमों के द्वारा ही घटनाऐं प्रकाश में लाई जाती हैं। ऐसे मामले गंभीर मानवाधिकार हनन से संबंधित होते हैं और अधिकांश स्थितियों में प्रसार माध्यम से ही ज्ञात होते हैं। ऐसे मामलों में सरकार व प्रशासन तत्परता से कार्यवाही कर दोषियों का पता लगाने व गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ करती है। बहुत से मानवाधिकारों का हनन इसलिए होता है कि पीड़ित वर्ग इसकी कोई शिकायत नहीं करता तथा अपने मानवाधिकारों का महत्व नहीं समझता। जब कोई स्वयंसेवी सगं ठन ऐसे लोगों का नेतृत्व करता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं और ऐसी संस्था या संगठन के हटने पर यथास्थिति पुनः बन जाती है। इसलिए समाज का बड़ा वर्ग स्वयं संगठित होकर अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आगे नहीं आता।

वर्तमान में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां तक व्यक्ति साक्षर नहीं हो परन्तु वह व्यक्ति स्वयं लोगों की समस्याओं के निराकरण व मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। संसाधनों का दुरूप्योग व भ्रष्टाचार भी इसीलिए पनपता है कि लोग अपने अधिकारों के लिए आगे नहीं आते। इस चक्र को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। जिसका उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति या वर्ग को उठाना आवश्यक है। वर्तमान में मानवाधिकार हनन के असंख्य प्रकरण हैं जो परिवार, समाज से प्रदेश भर में व्याप्त है परन्तु संगठित होकर उनके बारे में प्रयास करके तो इन्हें पाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय अजय कुमार (2009) भारतीय संस्कृति एवं मानवाधिकार, डॉ. पी.के. पाण्डेय का संकलन।
2. नेर्मा जी.पी. एवं शर्मा के. के. (2009) मानवाधिकार, सिद्वान्त एवं व्यवहार।
3. अंसारी, एम.ए. : महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर, 2000।
4. अवस्थी, सुधा : महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार, अरिहन्त पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2005।
5. डॉ. मधु मंजरी दूबेः मानव अधिकार, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2004।
6. डॉ. प्रदीप त्रिपाठी : मानवाधिकार और भारतीय संविधान–संरक्षण एवं विश्लेशण, राधा पब्लिकेशन्स, नर्द दिल्ली, 2002।
7. कानन पी. सत्य : मानव अधिकार और सामाजिक न्याय का विश्वकोष'' खण्ड– 4, दिल्ली प्रकाशन, 2005।
8. पूरण, मल : मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007।
9. नायक पाधी : मानव अधिकार और राश्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रतिबिंब संरक्षण'', ज्ञान पुस्ते, 2007।
10. बजवा श्री एस. (2003) भारत में मानवाधिकार ।
11. जाखड़ द्वितीय (2008) मानवाधिकार ।
12. राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना दिनांक 18.1.2001
13. नेता जी.पी. व शर्मा के.के. (2009) मानवाधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार।
14. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993।
15. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993।
16. राजस्थान मानवाधिकार आयोग अधिसूचना।

❖◆❖